

DELHI POLLUTION CONTROL COMMITTEE DEPARTMENT OF ENVIRONMENT

(GOVT. OF NCT OF DELHI)

4th FLOOR, ISBT BUILDING, KASHMERE GATE, DELHI-6 visit us at: http://dpcc.delhigovt.nic.in

File No. DPCC/MS/2016/AP/

PUBLIC NOTICE

Sub: Direction under section 31 (A) of Air (Prevention and Control of Pollution) Act 1981 read with Rule 20A (6) of the Air (Prevention and Control of Pollution) (Union Territories) Rules, Act 1983 to stop operation of Electricity Generator set run on diesel/petrol/kerosene in Delhi.

In continuation of earlier directions issued vide Letter No. DPCC/MS/2016/AP/327 to 335 dated 6.11.2016 followed by its addendum vide Letter No. DPCC/MS/2016/AP/5408-5415 dated 17.11.2016, and considering the high levels of air pollution particularly PM₁₀ & PM_{2.5} levels, operation of Electricity Generator set run on diesel/petrol/kerosene of all capacities is further banned in Delhi till **28th February 2017**, barring use for essential services such as medical purpose, elevators (lifts) & escalators. All the Authorities (Govt. or private)/person/Officer in Delhi are hereby directed to stop the use of Electricity Generator set run on diesel/petrol/kerosene as indicated above till **28th February 2017**. The SDM and officers of Local Bodies shall comply with directions as above and submit daily action taken report (ATR) to "DPCC" on Email ID: **msdpcc@nic.in**

In case of non-compliance, action as per the provisions contained in Section 37 of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act 1981 shall be initiated against all defaulters.

(S.M. Ali) Member Secretary

DIP/Shabdarth/3368/16-17

दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति पर्यावरण विमाग राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार

चौथा तल, आई.एस.बी.टी. भवन, कश्मीरी गेट, दिल्ली-११०००६

परिशिष्ट सूचना

विषयः वायु (प्रदूषण रोकथाम तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31 (क) के साथ पठित वायु (प्रदूषण रोकथाम तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1983 के नियम 20 क (6) के अन्तर्गत दिल्ली में डीजल/पेट्रोल/केरोसीन से चलने वाली 'इलैक्ट्रीसिटी जनरेटर सेट' के प्रचालन को बन्द करने के लिए निर्देश।

- 1. पत्रांक संख्या डी.पी.सी.सी./एम.एस./2016/ए.पी./5408-5415 दिनांकित 17.11.2016 एवं इसके बाद परिशिष्ट पत्रांक संख्या डी.पी.सी.सी./एम.एस./2016/ए. पी./5408-5415 दिनांकित 17.11.2016 में जारी दिशा-निर्देश की नितंरता में और उच्च स्तर के वायु प्रदूषण विशेषतया पार्टीक्यूलेट पी.एम. 2.5, पी.एम. 10 की अधिक मात्रा को ध्यान में रखते हुए, दिल्ली में 28 फरवरी, 2017 तक डीजल/पेट्रोल/ केरोसीन पर चलने वाले सभी क्षमताओं के इलैक्ट्रीसिटी जनरेटर सेट चलाना निषेध होगा, जिसमें आवश्यक सेवाएं शामिल नहीं हैं जैसे कि चिकित्सा उद्देश्य, लिफ्ट एवं स्वचालित सीद्धी। दिल्ली के सभी अथारिटी (सरकारी या निजी)/ व्यक्ति/अधिकारियों को इसके द्वारा निर्देश दिया जाता है कि डीजल/पेट्रोल/केरोसीन से चलने वाले सभी क्षमताओं के इलैक्ट्रीसिटी जनरेटर सेट का प्रयोग दिल्ली में 28 फरवरी, 2017 तक बन्द रहेगा। एस.डी.एम. तथा स्थानीय निकायों के अधिकारी उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन करके ''डी.पी.सी.सी.'' को उनके ई-मेल आई.डी. msdpcc@nic.in पर दैनिक कार्यवाही की रिपोर्ट भेजेंगे।
- अनुपालन न किए जाने की स्थिति में सभी दोषियों के विरुद्ध वायु अधिनियम, 1981 की धारा 37 के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जाएगी। हस्ता./-

एस.एम. अली

सदस्य सचिव, डी.पी.सी.सी.

DIP/Shabdarth/3368/16-17